

प्रेर,

संख्या 742/15-1131-94-1499181/1977,

आलोक रंजन,
शिक्षा सचिव,
उ०प्र०, शासन ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक।मा०।,
उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद/लखनऊ ।

शिक्षा निदेशक।बे०।,
उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद/लखनऊ ।

शिक्षा 1131 अनुभाग ।

लखनऊ: दिनांक: 6 सितम्बर, 1994,

विषय:- उ०प्र०, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन प्राथमिक/उच्चप्राथमिक विद्यालयों, गैर सरकारी मान्यता प्राप्त प्राथमिक/उच्चप्राथमिक विद्यालयों, राजकीय विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त बालकों/बालिकाओं के माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं को बी०टी०सी० प्रशिक्षण से छूट दिया जाना अथवा उन्हें सेवारत प्रशिक्षण प्रदान किया जाना ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न श्रेणी के विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापकों/अध्यापिकाओं को बी०टी०सी० प्रशिक्षण से मुक्ति किये जाने के लिए अथवा उन्हें सेवारत प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के तत्सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर आदेश जारी किये गये हैं । शासन द्वारा यह अनुभव किया गया कि पूर्व में जारी ऐसे समस्त शासनादेशों में एक-स्यता नहीं रही है। अतः इस प्रकार में एकस्यता लाये जाने के उद्देश्य से पूर्व के समस्त शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए शासन द्वारा अब निम्नवत् निर्णय लिये गये हैं :-

111. बिना अप्रशिक्षित अध्यापकों/अध्यापिकाओं की अनवरत सेवा दिनांक 1-9-1994 को दस वर्ष हो गयी हो, किन्तु उनकी सेवा निवृत्ति में मात्र 2 वर्ष शेष रह गये हों, उन्हें प्रशिक्षण से मुक्ति प्रदान की जायेगी । अध्यापक/अध्यापिकाओं के तत्सम्बन्ध में प्रशिक्षण से मुक्ति के आदेश तत्सम्बन्धित मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक।बे०। तथा मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, द्वारा निर्गत किये जायेंगे ।

121. कार्यरत स्ल०टी०/बी०स्ड० परीक्षा उत्तीर्ण अध्यापक/अध्यापिकाओं को 20-20 दिन के दो फेरों में कार्यरत प्रशिक्षण दिया जायेगा और प्रशिक्षण अवधि को उनकी कार्यावधि मानी जायेगी । प्रशिक्षण अवधि में उन्हें वहीं वेतन अनुमन्य होगा जो प्रशिक्षण से पूर्व वे प्राप्त कर रहे थे ।

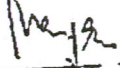
1/2

इस सेवारत प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, द्वारा की जायेगी और परीक्षा की व्यवस्था रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षारं, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा सुनिश्चित की जायेगी ।

- 13। शेष अप्रशिक्षित अध्यापकों/अध्यापिकाओं को दो वर्षीय पत्राचार प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात ही उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान अनुमन्य किया जायेगा । पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा की जायेगी और परीक्षा की व्यवस्था रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षारं, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा सुनिश्चित की जायेगी ।

2- कृपया शासन के उपरोक्त निर्णयों को सम्बन्धित अधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

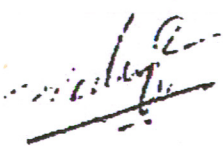
भवदीय,

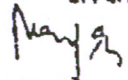

[आलोक रंजन]
शिक्षा सचिव ।

संख्या 742111/15-1131-94, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 11। निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, 3090, निगातगंज, लखनऊ ।
- 12। समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बे0।5090,
- 13। समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, 3090,
- 14। रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षारं, 3090, इलाहाबाद ।
- 15। संयुक्त शिक्षा निदेशक।प्रशिक्षण।, 3090, इलाहाबाद ।
- 16। समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, 3090,
- 17। समस्त जिला बेतिक शिक्षा अधिकारी, 3090,
- 18। शिक्षा अनुभाग- 5/6/7/8,



आज्ञा से,

[आलोक रंजन]
शिक्षा सचिव ।